

प्र.मंत्री मोदी और अडानी के संबंधों का पर्दाफाश करने के लिये कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलायेगी

कांग्रेस इस आंदोलन में सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच को हटाने की भी मांग करेगी, कांग्रेस का यह मानना है कि सच्चाई तभी सामने आयेगी, जब इस पूरे प्रकरण की जांच जे.पी.सी. को सौंपी जायेगी

जयपुर ग्रामीण लो.स. प्रत्याशी चोपड़ा की याचिका पर सुनवाई नहीं

जयपुर, 13 अगस्त राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस उमाशंकर व्यास ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव 2024 में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को किसी अन्य एकलपीठ में सूचीबद्ध करने के लिए प्रकरण चीफ जस्टिस के समक्ष भेजा है।

याचिका में चुनाव परिणाम को रद्द

राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस उमाशंकर व्यास ने याचिका किसी अन्य एकलपीठ के पास सूचीबद्ध करने के लिए उसे चीफ जस्टिस के समक्ष भेज दिया है।

करने और ई.वी.एम. व पोस्टल बिलेट के मतों को पुनः गणना की अदालत से गुहार की गई है। इसमें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी राव राजेन्द्र सिंह व रिटनिंग ऑफिसर सहित अन्य को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा कि ई.वी.एम. और पोस्टल बिलेट से वोटों की गिनती में काफी अनियमितताएं हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सिविक वॉलन्टियर स्कीम’ क्या है पश्चिम बंगाल की?

एक “सिविक वॉलन्टियर” ने एक युवा डॉक्टर को अपनी एम.डी. की तैयारी कर रही थी, का बेरहमी से “रेप” किया तथा मार-पिटवाई की, जिससे उस मृत मैडिकल स्टूडेंट के एक्सरे में कई हड्डियां, जिसमें गर्दन की हड्डी भी थी, टूटी हुई पाई गई थी

-अंजन राॅय-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अगस्त पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक में एक युवा मैडिकल छात्रा के बलात्कार व हत्या ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह केस दिल्ली में कुछ वर्षों पहले घटित निर्भया रेप केस जैसा वीभत्स है जिसके चलते सरकार ही बदल गई थी।

इस निर्दोष युवती पर किए गए हमले और फिर उसकी हत्या करने को लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वे भयावह, व्यथित करने वाली एवं आक्रोश दिलाने वाली हैं। इस घटना से पता चल गया है कि राज्य में सामय आदमी को सुरक्षा एवं सरकारी नीतियां किस हद तक गड़बड़ हैं। जले पर और नमक छिड़कने वाली बात यह है कि कुकृत्यों की खबरें सार्वजनिक होने के बाद अपने पर से इस्तीफा दे चुके मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोष मुक्त करते हुए ऐसे ही एक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में पुनर्नियुक्त कर दिया।

यह मैडिकल स्टूडेंट 36 घंटे की लगातार इयुटी करने के बाद, थक कर एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में सो गई थी तथा “सिविक वॉलन्टियर” ने इस कॉन्फ्रेंस हाल में प्रवेश करके “रेप” को अंजाम दिया था।

“सिविक वॉलन्टियर”, पुलिस महकमे के कर्मचारी नहीं हैं, ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं तथा प्रत्येक वॉलन्टियर को बारह हजार रूपए का भुगतान मिलता है तथा उनकी इयुटी होती है विशेष परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन की मदद करना।

जिस “सिविक वॉलन्टियर” ने मैडिकल स्टूडेंट की रेप व हत्या की, वह तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री का पुत्र बताया जाता है तथा गले में सोने की मोटी चैन पहने हुए पुलिस विभाग के बैच आदि लगाये रहता था तथा मैडिकल कॉलेज व अस्पताल में उन जगहों पर घूमता-फिरता था, जहाँ गैर मैडिको के लिये प्रवेश वर्जित है।

लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस प्रकरण में स्वतः प्रसंगान लेते हुए सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) से तुरन्त हस्तक्षेप कर घटना की जांच करने को कहा। ऐसे आरोप हैं कि तृणमूल

सरकार के एक पूर्व मंत्री का पुत्र इस कांड में लिप्त था। एम.डी. के लिए तैयारी कर रही एक होनहार मैडिकल छात्रा की राज्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश हिंसा से ठप पड़ गई है दोनों देशों की महत्वपूर्ण रेल लिंक परियोजना

12.24 किलोमीटर लम्बी अग्रतला-अखोरा (बांग्लादेश) रेल लिंक योजना प्रधानमंत्री की “लुक ईस्ट” पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है

-श्रीनन्द झा-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अगस्त बांग्लादेश में इस माह हुये राजनैतिक महापरिवर्तन का एक प्रतिकूल परिणाम यह रहा है कि अग्रतला (भारत) - अखोरा (बांग्लादेश) के बीच निर्माणाधीन 12.4 किमी. लम्बे रेल लिंक के पूरे होने की निश्चित तिथि अनिश्चितकाल के लिए आगे खिसका दी गई है। इस रेल-लिंक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना था।

रेल लाइन का भारत की तरफ का 5.46 किमी. के ट्रैक का काम पूरा हो गया है तथा बांग्लादेश की तरफ के ट्रैक का काम भी 98 प्रतिशत तैयार है। लेकिन इंडियन रेलवे (आई.आर.) के एक अधिकारी ने कहा, “लेकिन अब इसके पूरे होने के समय को लेकर कोई निश्चितता नहीं है। काफी कुछ तो इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेश की नई सरकार इस प्रोजेक्ट के काम को चलाना चाहती है अथवा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के राजनैतिक हलकों का एक

इस ट्रैक पर भारत के हिस्से का काम पूरा हो गया है और बांग्लादेश के हिस्से का काम भी 98 प्रतिशत पूरा हो गया है, पर शेष बचा काम कब पूरा होगा, इसे लेकर भारी अनिश्चितता का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार व जन सम्पर्क बढ़ाने के लिए कई रेल योजनाएं शुरू की थीं।

मुखर वरत भारत-विरोधी सोच वाला है।

बांग्लादेश के जन-आंदोलन एवं हिंसक गतिविधियों के चलते, आई.आर. ने पाँच यात्री सेवाएं 5 अगस्त को निलम्बित कर दी थीं, जिनमें “मैत्री एक्सप्रेस”, “बंधन एक्सप्रेस” तथा “मित्तल एक्सप्रेस” शामिल थीं। उसी दिन मालगाड़ियाँ भी स्थगित कर दी गई थीं।

बहुप्रतीक्षित “अग्रतला-अखोरा” लाइन को लेकर अनिश्चितता की नई स्थिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिये एक धक्का साबित हुई है। उन्होंने एन.डी.ए. सरकार की “लुक ईस्ट

पॉलिसी” के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में इस रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बड़े उत्साह से आगे बढ़ाया था।

हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई यात्री रेलगाड़ियाँ एवं मालगाड़ियाँ चलाई गई हैं तथा रेल के जरिये द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। 2020-21 में 3,706,946 मीट्रिक माल भारत से बांग्लादेश गया था, जबकि 2019-20 में इसकी मात्रा 1,677, 825 ही थी। भारत से बांग्लादेश का निर्यात, जो 2019-20 में 8,200 डॉलर का था, 2021-22 में बढ़कर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंधानिया युनिवर्सिटी केस में फैसला सुरक्षित

जयपुर, 13 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कॉसिल से मान्यता लिए बिना ही एमबीबीएस कराने वाले सिंधानिया विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सिंधानिया

नैशनल मेडिकल काउन्सिल की मान्यता के बिना एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित कर रही सिंधानिया युनिवर्सिटी पर हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

यूनिवर्सिटी से एम.बी.बी.एस. करने वाली रंजना जांगड़ा व अन्य की याचिकाओं पर दिए अदालती आदेश के पालन में ए.सी.एस. उच्च शिक्षा रिकार्ड सहित अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने रिकार्ड रजिस्ट्रार न्यायिक के पास भेजते हुए इसका परीक्षण करने की मंशा जताई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बहिन सुप्रिया के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाना भारी गलती थी’

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में एक और उलटफेर का संकेत माना जा रहा है

डॉ. सतीश मिश्रा- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 13 अगस्त आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह स्वीकार कर लिया कि बारामती लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी सुनेजा को अपनी चचेरी बहिन तथा शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव में उतारने का उनका निर्णय गलत था। क्या उनका यह स्वीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े उलटफेर एवं बदलाव का संकेत है।

यह प्रश्न न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के राजनैतिक हलकों में भी तीखी बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह प्रश्न चुनाव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में भाजपा की चुनावी संभावनाओं के लिये एक धक्का साबित हो सकता है। ज्ञातव्य है कि विधानसभा चुनाव अगले तीन माह में ही होने हैं।

तीन बार सांसद रह चुकीं सुले ने सुनेजा को हाल ही के लोकसभा चुनावों में 1,58,000 वोटों के बड़े अन्तर से

महाराष्ट्र में आगामी तीन महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन हालात में अजीत पवार के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वे पुनः अपने चाचा शरद पवार के खेमे में लौट सकते हैं।

राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रमोट करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इन दिनों महाराष्ट्र की “जन सम्मान” यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में अजीत पवार ने उक्त टिप्पणी की और यह भी कहा कि शरद पवार उनके परिवार के मुखिया हैं।

ज्ञातव्य है कि गत वर्ष जुलाई में अजीत पवार एन.सी.पी. के कई विधायकों के साथ शरद पवार से अलग होकर एन.डी.ए. में शामिल हो गए थे, पर यहां उनकी पत्नी नहीं बैठ रही है। अंदरूनी खबर है कि भाजपा महसूस कर रही है कि अजीत पवार को साथ लेना भारी भूल थी।

हराया था। अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) पश्चिमी महाराष्ट्र की दो लोकसभा सीटों पर शरद पवार की एन.सी.पी. (शरद पवार) के

खिलाफ चुनाव लड़ी थी तथा इन दोनों ही हाई-प्रोफाइल सीटों - बारामती एवं शिरूर पर शरद पवार की ए.सी.पी. से हार गई थी।

अपने राज्यव्यापी दौर के दौरान मराठी समाचार चैनल ‘जय महाराष्ट्र’ से बात करते हुये, अजित पवार ने पारिवारिक मामलों में राजनीति के प्रवेश पर दुख व्यक्त किया और कहा, “राजनीति को घर-परिवार में प्रवेश नहीं करने देना चाहिये। मुझे इस मामले में गलती हुई। मुझे अपनी बहिन के खिलाफ सुनेजा को खड़ा नहीं करना चाहिये था।”

अजित पवार ने स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि यह निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड ने लिया था। उन्होंने आगे कहा, “कमान से तीर निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब मैं यह मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिये था।”

इस हार से अजित पवार की क्षमता पर प्रश्न खड़े हो गए हैं कि वे पश्चिमी महाराष्ट्र में एन.सी.पी. के परम्परागत मतदाताओं के समर्थन को बटोरें नहीं सके। उनके अथक प्रयासों एवं प्रतिष्ठा के बावजूद, उनकी पत्नी का सुले से हार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री भजनलाल बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण करेंगे

जयपुर, 13 अगस्त (का. सं.)। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पर प्रातः 7.50 बजे झंडारोहण करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को सुबह 7:50 बजे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कार्यक्रम होगा।

रहेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि प्रदेश भाजपा कार्यालय पर प्रातः 8.30 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ झंडारोहण करेंगे व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। इस दौरान, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार का झगड़ा चरम पर पहुंचा

कर्नाटक की राज्य सरकार ने कभी देश की शान एच.एम.टी. फैक्टरी को नोटिस दिया कि वह फैक्टरी के क्षेत्रफल से 281 एकड़ कृषि भूमि राज्य सरकार को वापस लौटाये

-लक्ष्मण वेंकट कुची- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अगस्त। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और जनता दल (एस) के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) को फिर से खड़ा करने को लेकर एक दिलचस्प संघर्ष चल रहा है। हाथ की घड़ियों के मार्केट पर कभी एच.एम.टी. का 90 प्रतिशत कब्जा हुआ करता था। उसे बैंगलोर की शान भी कहा जाता था। कुमारस्वामी केन्द्र में सत्तारूढ़ एन.डी.ए. सरकार में केन्द्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं।

कुमारस्वामी दावे से कहते हैं कि वह एच.एम.टी. को फिर से खड़ा करने की एक कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं क्योंकि देश में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हालत खस्ता और घड़ी उद्योग में प्राइवेट प्लेयर्स के आ जाने से एच.एम.टी. बंद होने की कगार पर है। कुमारस्वामी का आरोप है कि कर्नाटक सरकार एच.एम.टी. से हजारों

दूसरी ओर कर्नाटक के पूर्व मु.मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, जो अब केन्द्रीय सरकार में स्टील व भारी उद्योग मंत्री हैं, एच.एम.टी. को पुनः “जीवित” करने के लिये सहायता पैकेज लाना चाह रहे हैं।

इस पूरे प्रकरण में राजनीति स्पष्ट दिख रही है। राज्य सरकार किसी भी तरह केन्द्रीय सरकार को इस प्रकरण में वाहवाही नहीं लूटने देना चाहती।

राज्य सरकार के वन मंत्री का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बार जो भूमि वन घोषित हो जाती है, वह सदा वन भूमि ही रहती है तथा 11 जून 1896 से गजट नोटिफिकेशन में एच.एम.टी. को दी गई जमीन वन मानी गई थी।

वन मंत्री का यह भी तर्क है कि पर्यावरण, सिविल राइट्स से ज्यादा महत्व रखता है।

केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने पूर्व प्र.मंत्री जवाहर लाल नेहरू व इंदिरा गांधी की एच.एम.टी. फैक्टरी के विजिट्स की फोटो दिखाई और कहा कि अब अचानक क्यों राज्य सरकार को एच.एम.टी. फैक्टरी के वन भूमि पर बने होने की याद आयी। वैसे भी केन्द्रीय मंत्री के अनुसार, एच.एम.टी. फैक्टरी ने पूरा पैसा, जो देय बनता था, जमा करवाया है। अतः अचानक एक दिन मनमाने तरीके से एच.एम.टी. से भूमि वापस नहीं ली जा सकती है।

एकड़ भूमि को रिकवर करने पर आमादा है। कर्नाटक सरकार दावा करती है कि भूमि वन विभाग की है और

वन विभाग ने उसकी रिकवरी को लेकर एच.एम.टी. को एक नोटिस भी दिया था।

कुमारस्वामी ने प्रशासन के नोटिस को लेकर राज्य के वन मंत्री ईश्वर खाण्डे की आलोचना की। नोटिस में

वन विभाग से कहा गया था कि वह एच.एम.टी. लिमिटेड से 281 एकड़ भूमि रिकवर करने के प्रयास शुरू करे। केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी आज बैंगलोर में थे। मोडिया कमिश्नों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए उसके रूख की निंदा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम की हत्या कर देगा जो पहले ही अंतिम सांसे गिन रहा है। उन्होंने राज्य के वन मंत्री से कहा कि वह कुछ दरियादिली दिखाएं और एच.एम.टी. के पुनर्निर्माण में सहयोग दें।

कर्नाटक के वन मंत्री खाण्डे ने 11 जून 1896 के एक गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए गत 9 अगस्त का एक प्रशासनिक नोट जारी किया था। अधिसूचना में बैंगलूर शहर के पीन्या जालाहल्ली में सर्वे नम्बर 1 की 559 एकड़ भूमि को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शन वाला कोई रिकार्ड नहीं है कि यह भूमि एच.एम.टी. को कभी तोहफे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)